न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20 / 2020

आर.सी.एम.एस. : 2020 / 00274

अपीलान्ट ; बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अपीलान्ट	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती विमलादेवी पत्नी चुतराराम जाति माली, निवासी पाचुण्डा कलां, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान	तहसीलदार (भूमिधारक) मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/09/2020

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम वोपारी के नामान्तरकरण संख्या 1130 दिनांक 15.07.2015 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम वोपारी पटवार हल्का वोपारी के खसरा नम्बर 678/12 रकबा 4.000 है. की भूमि अपीलाण्ट की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी। उक्त भूमि में से रकबा 3.5800 है. भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन ने जरिये आदेश क्रमांक राजस्व/संपरिवर्तन/2015/253 दिनांक 05.06.2015 के द्वारा संपरिवर्तन कर दिया। जिसकी पालना में राजस्व कर्मचारियों एवं रेस्पोडेण्ट ने सद्भाविक त्रुटिवश विधि विरूद्ध नामान्तरकरण दर्ज करते हुए खसरा नम्बर 678/12 रकबा 0.2800 है. किस्म नहरी अव्वल एवं खसरा नम्बर 678/24 रकबा 3.5800 है. किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुल खसरा संख्या 2 कुल रका 3.8600 है. दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 678/12 रकबा 3.5800 है. भूमि का ही संपरिवर्तन कराया गया तथा राजस्व ट्रैस नक्शा में भी उक्त खसरा नम्बर 678/12 को ही संपरिवर्तन दर्शाया गया है। लेकिन राजस्व कार्मिकों ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश खसरा नम्बर 678/12 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर न.अ. तथा

अति० जिला कलक्टर, पाली

खसरा नम्बर 678/24 को न.अ. के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शा दिया, जो विधि विरूद्ध होने से जैर अपील नामान्तरकरण काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट एक महिला है एवं उसे राजस्व रेकर्ड के संबंध अधिक जानकारी नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 1130 दर्ज करने में हुई, त्रुटि के संबंध में उसको जानकारी पूर्व में नहीं हुई। अभी हाल ही में अपीलाण्ट को कृषि भूमि के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर उसने हल्का पटवारी से जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो उसे जैर अपील नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी हुई। इसके पश्चात तुरन्त ही उसने दिनांक 11.08.2020 को नामान्तरकरण एवं अन्य दस्तावेजों की नकलें प्राप्त कर अपील पेश की है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें तथा जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन के संपरिवर्तन आदेश की पालना में दर्ज किया गया है। जो सही है। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज भूमियां अपीलाण्ट की है, लेकिन अपीलाण्ट के कथनानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने में राजस्व कार्मिकों द्वारा भूमि की किस्म दर्ज करने में से त्रुटि हुई है, इस कारण उनको उनकी भूमि के उपयोग–उपभोग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा इससे उनके अधिकार भी प्रभावित हो रहे है। अतः जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा उसके हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन के संपरिवर्तन आदेश कमांक/राजस्व/संपरिवर्तन/2015/253 दिनांक 05.06.2015 की पालना में दर्ज किया गया है। जिसके राजस्व ट्रैस नक्शा के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 678/12 का ही संपरिवर्तन कराया गया है। जबकि नामान्तरकरण संख्या 1130 दिनांक 15.07.2015 में खसरा नम्बर 678/24 रकबा 3.5800 है. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं खसरा नम्बर 678/12 रकबा 0.2800 है. किस्म न.अ. दर्ज किया गया है। राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा एवं नामान्तरकरण में अंकित खसरे की भूमि में विरोधाभाष है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम वोपारी के नामान्तरकरण संख्या 1130 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन के

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अनुसार प्रकरण में नये सिरे से आदेश अनुसार मौका एवं रेकर्ड की जांच करें एवं इस संबंध में विधि में दिए गए नियमों की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली